

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

श्रीमती शिव कुमारी देवी, मुखिया, चकजादो, पातेपुर, वैशाली एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवाद पत्र, जो माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार -सह- विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, पातेपुर द्वारा जांच करने हेतु अग्रसरित किया गया था। पत्रांक-664 दिनांक 01.04.2026 द्वारा प्राप्त परिवाद के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित किया गया। गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 17.04.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आशो कुँवर उच्च माध्यमिक विद्यालय भरथीपुर का भौतिक एवं अभिलेखीय निरीक्षण (जाँच) किया गया। संयुक्त जांच के क्रम में जब समिति द्वारा वित्तीय अभिलेखों (यथा-कैशबुक, वाउचर एवं छात्र/विकास कोष की राशि से संबंधित सुसंगत दस्तावेज) की माँग की गई, जो जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मोहम्मद फैज रसूल द्वारा जांच समिति को लिखित रूप में दिया गया था कि वे दिनांक 27.04.2026 को समस्त वित्तीय अभिलेख जांच हेतु लेखा पदाधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर देंगे, परंतु मोहम्मद फैज रसूल को वित्तीय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान किए जाने तथा एक माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उनके द्वारा अद्यतन कोई भी अभिलेख जांच समिति के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया।

कार्यालय पत्रांक-1249 दिनांक 17.06.2026 द्वारा तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मो० फैज रसूल, पूर्व प्रधानाध्यापक श्री जगन्नाथ महतो एवं संयुक्त हस्ताक्षरी मो० अशरफूल कादरी को अंतिम रूप से अवसर देते हुए दिनांक 19.06.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर सभी अभिलेख जांच समिति के समक्ष उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया। पुनः सभी के द्वारा लिखित रूप से दिनांक 25.06.2026 को सभी अभिलेख के साथ उपस्थित होने हेतु समय की माँग की गई जो जांच समिति के द्वारा दिया गया, परंतु बार-बार लेखा पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय अभिलेख की माँग करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यालय पत्रांक-1417 दिनांक 07.07.2026 द्वारा स्पष्टीकरण के साथ कार्यालय में स्वयं दिनांक 08.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया। पत्र के आलोक में दिनांक 08.07.2026 को विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मो० फैज रसूल, पूर्व प्रधानाध्यापक श्री जगन्नाथ महतो एवं संयुक्त हस्ताक्षरी मो० अशरफूल कादरी के द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का वित्तीय अभिलेखों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बहादुरपुर चिकनौटा में संधारित छात्र कोष एवं विकास कोष के कुल चार खाते क्रमशः 2366383800, 31584004208, 3726523991 एवं 3726524032 से मिलान करते हुए जांच की गयी। इनके द्वारा कैशबुक, बैंक विवरणी दिखाया एवं विपत्र/ अभिश्रव भी दिखाया गया जो कैशबुक के अनुसार तिथिवार क्रमानुसार गार्ड फाईल में संरक्षित नहीं था। अतः इन्हें कैशबुक के अनुसार व्यवस्थित कर लाने को कहा गया। पुनः ये दिनांक 13.07.2026 को उपस्थित हुए। सभी अभिलेख लेखा पदाधिकारी द्वारा जांच करते हुए निम्नलिखित कमियाँ प्रतिवेदित किया गया है:-

“(1) कैशबुक का संधारण वित्तीय नियमानुसार नहीं किया जाना: छात्र कोष/ विकास कोष हेतु संधारित कुल चार खातों का कैशबुक का संधारण वित्तीय नियमानुसार नहीं किया गया है। कैशबुक में किसी भी लेन-देन में विपत्र पर क्रमांक नहीं दिया गया है। किसी भी लेने-देन का कथन (Narration) सही ढंग से नहीं किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि यह राशि क्यों और किसे भुगतान किया गया है। बैंक विवरणी के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकांशतः लेन-देन नकद निकालकर किया गया है, जो प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है और राशि के गबन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(2) त्रुटिपूर्ण विपत्र एवं कैशबुक के अनुसार क्रमानुसार सजा नहीं होना:- संधारित कैशबुक के अनुसार कोई भी लेन-देन का विपत्र क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं पाया गया तथा विपत्र गार्ड फाईल में संरक्षित नहीं पाया गया। कई विपत्र पर बिक्रेता का GST संख्या अंकित नहीं पाया गया। किसी भी बिक्रेता के विपत्र पर आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जब कि वित्तीय नियमानुसार एकमुस्त किसी बिक्रेता को 30000 या उससे अधिक का भुगतान करते हैं तो आयकर की कटौती की जाती है। विपत्रों पर क्रमांक अंकित नहीं हैं। क्रय की गयी सामाग्री से संबंधित विपत्रों पर स्टॉक इन्ट्री नहीं पाया गया। पूछने पर बताया गया कि स्टॉक पंजी में प्रविष्टि की गयी है, परंतु विपत्रों पर जानकारी नहीं रहने के कारण प्रविष्टि नहीं किया जा सका है, जिसे कर लिया जाएगा।

(3) चेक निर्गत पंजी का संधारण नहीं किया जाना: उक्त चारों खातों में बैंक से चेक बुक निर्गत किया गया है, परंतु किसी भी खातों का चेक निर्गत पंजी का संधारण नहीं किया गया है। पूछने पर बताया गया कि जानकारी नहीं रहने के कारण इसका संधारण नहीं किया गया है, इसे कर लिया जाएगा।

(4) स्टॉक पंजी का नहीं दिखाया जाना: क्रय की गयी सामाग्री का स्टॉक पंजी नहीं दिखाया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि विपत्र के अनुसार क्रय की सामाग्रियों का स्टॉक पंजी संधारित है। भूलवश नहीं लाया जा सका।

(5) सामाग्रियों का क्रय में खरीद नियमों का पालन नहीं किया जाना: बिहार वित्तीय नियमावली 131 (घ) के अनुसार 50000/- रु० से अधिक की क्रय राशि के मामले में संस्था प्रमुख द्वारा तीन व्यक्तियों की समिति गठित कर स्थानीय बाजार से सर्वे कर गुणवत्तापूर्ण सामाग्री का कम-से-कम तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर उचित एवं कम दर वाले फर्म को क्रयादेश निर्गत करते हुए सामाग्री का क्रय किया जाना चाहिए था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। यह वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(6) अधिकांश लेन-देन नगद रूप में किया जाना: पूर्व के प्रधानाध्यापक श्री जगन्नाथ महतो जो वर्तमान में वी० प्रो० कन्या उच्च विद्यालय रायपुर, समस्तीपुर में पदस्थापित हैं। ये 2018 से मार्च 2026 तक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे हैं। इनके बाद मो० फैज रसूल क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे हैं। पूर्व के प्रधानाध्यापक श्री महतो के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरी रहे हैं तथा इनके साथ मो अशरफूल कादरी भी उच्च माध्यमिक खातों के लिए संयुक्त हस्ताक्षरी रहे हैं। श्री जगन्नाथ महतो दिनांक 06.08.2018 से मार्च 2026 तक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे हैं और इस अवधि में छात्रकोष माध्यमिक हेतु संधारित खाता सं० 2366383800 के बैंक विवरणी के अनुसार 8250000-(बिचासी लाख पचास हजार) से अधिक की राशि का लेन-देन किया गया है, जिसमें अधिकांशतः लेन-देन नगद के रूप में किया गया है, जो प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

(7) इसी प्रकार छात्र कोष उच्च माध्यमिक हेतु संधारित खाता सं० 3726523991 के बैंक विवरणी के अनुसार लगभग 1200000 (बारह लाख) से अधिक का लेने देन किया गया जिसमें अधिकांशतः नगद के रूप में किया गया गया है।

(8) इसी प्रकार विकास कोष माध्यमिक हेतु संधारित खाता सं० 3158404208 से उक्त अवधि में लगभग 500000- (पांच लाख) से अधिक की राशि का लेन देन किया गया है। इसमें से अधिकांश लेन देन नगद के रूप में किया गया है।

(9) इसी प्रकार विकास कोष उच्च माध्यमिक हेतु संधारित खाता सं० 3726524032 से उक्त अवधि में 150000- (एक लाख पचास हजार) से अधिक राशि का लेन देन किया गया है और अधिकांशतः नगद किया गया है।

चारों खातों को मिलाकर एक करोड़ रूपए से अधिक की राशि का लेन-देन किया गया है और इसमें अधिकांशतः राशि नगद के रूप में भुगतान किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। राशि के गबन से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।”

अतः मोहम्मद फैज रसूल, विशिष्ट शिक्षक, आशो कुँवर उच्च माध्यमिक विद्यालय भरथीपुर, पातेपुर, वैशाली को उपरोक्त कृत्य के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

मोहम्मद फैज रसूल के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

मोहम्मद फैज रसूल का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

20.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
20/7/26

ज्ञापांक:-.....1547..... हाजीपुर दिनांक:-.....20/7/2026.....

प्रतिलिपि:-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.7.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
20/7/26